म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक / निमार्ण / सी.सी.टी.व्ही. / 970 भोपाल,दिनांक : 04 / 06 / 2019

प्रति,

भारसाधिक अधिकारी / सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त),
मध्यप्रदेश.

विषयः–कृषि उपज मंडियों में स्थापित सी.सी.टी. व्ही. कैमरा के रख–रखाव बावत्।

---

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रदेश की लगभग सभी कृषि उपज मंडियों में उच्च गुणवत्ता के सी.सी. टी.व्ही. कैमरा सभी तकनीकी संभागों के द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं। कतिपय् स्थानों से यह रिपोर्ट प्राप्त हो रही है कि जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा सी.सी.टी.व्ही. कैमरा से छेड़छाड़ की जाती है, उनके तार काटे जाते हैं और कैमरा तोड़ने के प्रयास भी किये गये हैं। कार्यपालन यंत्रियों द्वारा यह भी बतलाया गया कि कुछ स्थानों पर इसमें मंडी कर्मचारियों की भी संलिप्तता रही है, चूँकि वह मंडी में कृषि उपज की आवक–जावक तथा प्रांगण में हो रही गतिविधियों की निगरानी को बाधित करना चाह रहे हैं।

उक्त सी.सी.टी.व्ही. कैमरा का रख–रखाव वर्तमान में वारंटी के अंतर्गत संबंधित एजेंसी, जिसके द्वारा कैमरा स्थापित किये गये हैं, करा जा रहा है, परन्तु वारंटी समाप्त होने के बाद उक्त कैमरा का रख–रखाव मंडी समितियों को ही करना होगा।

अतः सर्वप्रथम उक्त सी.सी.टी.व्ही. कैमरा की सुरक्षा की जवाबदारी मंडी में सुरक्षा कर्मचारियों की है, यदि इस प्रकार के प्रकरण भविष्य में पाये जाते हैं तो संबंधित सुरक्षा अधिकारी / कर्मचारियों के वेतन से नुकसान की भरपाई करी जायेगी। इसी तरह मंडी के कर्मचारियों की संलिप्तता इस प्रकार की गतिविधियों में पाई जाती है तो मंडी कर्मचारियों के वेतन से नुकसान की भरपाई करी जायेगी।

कृपया सभी संबंधितों को इस संबंध में अवगत करायें और सुरक्षा अधिकारी / कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दें कि वह सी.सी.टी.व्ही. कैमरा की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक / निमार्ण / सी.सी.टी.व्ही. / 971 भोपाल,दिनांक : 04 / 06 / 2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ................(समस्त)।

प्रबंध संचालक 4/6
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.